FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

1. लादू पुत्र रामलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0 वादी

बनाम

1. श्योजी पुत्र नारायण जाति भील बालिग निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0 वगै0 प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा – 183 रा0का0अधि0 नंबर /2025

वकील वादी श्री अशोक कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17/6/25	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अशोक कुमार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 183 रा0का0 अधिनियम के तहत् पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादी को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 25/7/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। तलबीन पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी कि 2 है तामिल / समन प्राप्त। P.O. साहब कुमार्य कार्य/राजकार्य/टूर/अवकाश पर बाहर। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार................. दिनांक 30/7/25 को पेश हो। [initials]	
30/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादीगण अनु0। पैरवी सरकार के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 13/8/25 को पेश हो। Np	
13.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0 प्रतिवादीगण अनु0। प्रतिवादी बावजूद तामील के अनु0। न्यायालय समय में कम-कम से तीन बार	

आवाजें लगवाई गई किन्तु प्रतिवादीगण अनु०
प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी
जवाब फैसला सरसरी प्राप्त। फैसला सरसरी का
जवाब का अवलोकन किया गया। फैसला सरसरी
के जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया
जाना स्पष्ट होता है। अतः अपील का वाद
स्वीकार किया जाता है। फाईल पृथक से तैयार
किये जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली
फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 37/2025

लादू पुत्र रामलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्योजी पुत्र नारायण जाति भील उम्र बालिग निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब अराई, जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

आदेश

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : वकील वादी श्री अशोक शर्मा

दिनांक 13.8.25

......

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण कृषक व्यक्ति है जो ग्राम अराई तहसील अराई का निवासी है । ग्राम अराई में खसरा नं0 3348/189 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है । जिसमें प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा निहित है । अप्रार्थी ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अवेध कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया है एवं प्रार्थी की भूमि पर अतिचार कर लिया है । अप्रार्थी ने प्रार्थी पर हमला करने की नियत से प्रार्थी को घेर कर एलानिया धमकी दी है कि तूने यहा कदम रखा तो तूझे जान से खत्म दूंगा । श्रीमान से निवेदन है कि आराजीयात मुतदाविया कृषि ग्राम अराई में खसरा नं0 3348/189 रकबा 0.3236 हैक्टेयर से अप्रार्थीगणें को बेदखल कर उक्त भूमि का कब्जा पुनः प्रार्थी को दिलाया जावे।

2. वादी का वाद दिनांक 17.6.2025 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गयी जो कि 25.7.2025 तक प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 13.8.2025 को उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

3. दिनांक 20.8.2025 को वकील वादी की एकपक्षियी बहस सुनी गई । जवाब पेरोकार सरकार प्राप्त हुआ । जबाव पेरोकार सरकार का अवलोकन किया गया । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम अराई के खसरा नं0 3348/189 रकबा 0.3236 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रार्थी की भूमि पर उक्त खसरा नं0 मौके पर बाड लगाकर एवं

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

कुआ बनाकर श्योजी पुत्र नारायण जाति भील का कब्जा है । पेरोकार सरकार के जवाब से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थीने उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है । अतः तहसीलदार अराई को यह आदेशित किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी ग्राम अराई में खसरा नं0 3348 / 189 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अवेध अतिकमण को हटवाकर उक्त कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सम्भलवाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो। आदेश की पालना अपील / मियाद अवधि गुजर जाने के बाद की जाए ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ..13.8.25.... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई